सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अ.शा.सं. डब्ल्यू-11032/07/2012-जल-।
दिनांक : 01 अगस्त, 2014

प्रिय महोदया/महोदय,

हमने सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला-वार आपातकालीन योजना माँगी थी। इसके जवाब में कई राज्यों ने सूखे जैसी स्थिति में पेयजल की कमी से निपटने के लिए बहुत बड़ी निधियों की मांग की है।

आप इस बात से अवगत होंगे कि सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय में मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) है। अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को हैंडपंपों तथा ट्यूबवैलों की मरम्मत अथवा पुन: बोरिंग करानी चाहिए ताकि वे ठीक रहें और पेयजलापूर्ति स्थायी रहे।

ट्यूबवैलों के मरम्मत अथवा पुन: बोरिंग का भुगतान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 15 प्रतिशत निधियों से, जो ओएंडएम घटक की है, के राज्य सरकार के मैचिंग अंशदान से किया जा सकता है। उन जल तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ टैंकरों से जलापूर्ति करनी अनिवार्य है वहाँ टैंकरों से जलापूर्ति कराई जाए। तथापि, चूँकि एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों में टैंकरों से जलापूर्ति अनुमत नहीं है, उसे बाद में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से कार्यक्रम के 2 प्रतिशत आपदा घटक से राज्य द्वारा सूखा की घोषणा होने पर तथा आईएमसीटी के दौरे और एचएलसी के आदेश के बाद उसकी क्षतिपूर्ति की जाए।

अत: हमें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ओएंडएम निधियों के उपलब्ध होने के बाद भी राज्य सरकार आपातकालीन योजना के भाग के रूप में निधियों की माँग क्यों कर रहे हैं। ऊपर उल्लिखित निधियों के अलावा आपातकाल की स्थिति में निधियाँ उपलब्ध कराने के विषय में एनआरडीडबल्यूपी के दिशा-निर्देशों में कोई और प्रावधान नहीं है। नई जल आस्तियों को बनाने के लिए सामान्य एनआरडीडब्ल्यूपी की निधियों से खर्च किया जा सकता है और मरम्मत की स्थिति में 15 प्रतिशत ओएंडएम निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

अत: मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने स्तर पर मुद्दे की समीक्षा करें। प्रधान सचिव एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अनुसार निधियों के आबंटन तथा रिलीज संबंधी प्रावधानों से पूर्ण रूप से अवगत हैं।

मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से तत्काल दिनांक 05 अगस्त, 2014 से पहले अवगत कराया जाए।

सादर,

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(सत्यब्रत साहु)

सभी मुख्य सचिव